उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0पी0 सं0– 01/2010–11

लखिन्द मरांडी .... आवेदक

बनाम

धानेश्वर हेम्ब्रम एवं अन्य .... विपक्षी

।। आदेश ।।

24/05/2016

यह रे0मि0 पिटीशन सं0– 01/2010–11 लखिन्द मरांडी एवं अन्य के द्वारा दाखिल आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस.आर. वाद सं0 123/1980–81 में पारित आदेश दिनांक 25.07.1987 के विरूद्ध इस न्यायालय में आर.एम.ए. वाद सं0 123/1987–88 दायर किया गया जिसमें तत्कालीन उपायुक्त द्वारा निम्न न्यायालय को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर आदेश पारित करने का निदेश दिया गया किन्तु उक्त आदेश के पारित होने के पश्चात निम्न न्यायालय के अभिलेख एस.आर. वाद सं0 123/1980–81 उपलब्ध नहीं हो रहा है। फलतः इसपर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। उन्होंने उक्त अभिलेख को खोजकर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया है। इस पर अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, मसलिया के पत्रांक 191/रा0 दिनांक 04.03.2015 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त है।

उभय पक्षों द्वारा कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः उन्हें लिखित बहस दाखिल करने हेतु आदेश दिया गया किन्तु उनके द्वारा लिखित बहस दाखिल नही किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि पक्षों को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है। अतः अभिरूचि के अभाव में वाद को संचिकास्त किया जाता है।

Note

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।